

कार्यालय जिला पंचायत, दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा (छ.ग.)

कार्यालय 07856/252522, फैक्स 252575 निवास, 252523, ई:मेल पता :- zp-dantewada.cg@nic.in

आदेश

क्रमांक

/जि.पं./एन.आर.ई.जी.ए./2010

दन्तेवाडा दिनांक जून 2010

आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर के पत्र पृ.क.2090/वि-3/एन.आर.ई.जी.ए /167/09 दिनांक 23.05.2009 में निहित प्रावधानों के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित जिला/जनपद पंचायतों में तकनीकी सहायक के पद पर निम्नानुसार शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है -

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम जहां पद स्थापना की गई है
1.	2.	3.	4.
1.	मनोज कुमार, कार्यालय जिला पंचायत दन्तेवाडा	श्री हरिशचन्द्र	जिला पंचायत दन्तेवाडा
2.	कु. ज्योति शर्मा, जयगुरुदेव गली, मदर टेरेसा वार्ड इंडस्ट्रियल एरिया जगदलपुर जिला बस्तर	श्री गोपाल शर्मा	जिला पंचायत दन्तेवाडा
3.	अशोक कुमार कंवर, फिंगेश्वर सिविल लाईन तह. राजिम जिला रायपुर	श्री रामाधार कंवर	जनपद पंचायत दन्तेवाडा
4.	निर्मला रानाडे, टाईप-2 टी/एस 993 हाइटेक कालोनी बचेली जिला दन्तेवाडा	श्री एस.एस. रानाडे	जनपद पंचायत दन्तेवाडा
5.	कु. दीपिका साहू, द्वारा एन.पी. साहू, मानचित्रकार ग्रा.यां. सेवा संभाग दन्तेवाडा	श्री एन.पी. साहू	जनपद पंचायत दन्तेवाडा
6.	कु. एकता यदू, द्वारा सुनिता यदू, पुलिस अधिक्षक कार्यालय दन्तेवाडा जिला दन्तेवाडा	श्री राजेन्द्र यदू	जनपद पंचायत दन्तेवाडा

7.	कमलेश कुमार नेताम, सी.एस.ई.बी. कालोनी क्वा.नं. एफ-17 डंगनिया रायपुर जिला रायपुर	श्री सी.आर. नेताम	जनपद पंचायत गीदम
8.	विनोद कुमार साहू, एच-पॉकेट 32/सी मरोदा सेक्टर भिलाई नगर जिला दुर्ग	श्री बालमुकून्द साहू	जनपद पंचायत गीदम
9.	विनय कुमार वर्मा, ग्राम सिंगारभाठा पो. केन्द्री थाना अभनपुर जिला रायपुर	श्री लेखराम वर्मा	जनपद पंचायत गीदम
10.	एम. सजिता, क्वा.नं. 2 टीएस/एसएफ 861 पो. बचेली जिला दन्तेवाड़ा	श्री एम शंकर	जनपद पंचायत कुआकोण्डा
11.	विनोद कुमार देवान, रेस्ट हाउस के सामने डाक बंगला वार्ड धमतरी जिला धमतरी	श्री दीलीप कुमार	जनपद पंचायत कुआकोण्डा
12.	मोहित कुमार सिन्हा, ग्राम अरौद, लीलर तह. जिला धमतरी	श्री धनश्याम नंद	जनपद पंचायत कटेकल्याण
13.	कपिल नायक, ग्राम सोनारपाल, मुंजला पो. सोनारपाल थाना भानपुरी जिला बस्तर	श्री बद्दू राम	जनपद पंचायत कटेकल्याण
14.	अनिल कुमार ध्रुव, अवंतिका कालोनी म.नं. ई-3 जगदलपुर जिला बस्तर	श्री जे.आर ध्रुव	जनपद पंचायत सुकमा
15.	नवरतन प्रसाद, प्रेस्ट्रेस्ड कान्क्रीट इन्डिस्ट्रीज भनपुरी जिला रायपुर	श्री संतराम जांगड़े	जनपद पंचायत सुकमा
16.	रूस्तम मण्डल, दन्तेश्वरी वार्ड क्र.-20 पुरानी भट्टी रोड मिश्रा रेंजर घर के पीछे जगदलपुर जिला बस्तर	स्व. श्री छन्नू लाल	जनपद पंचायत कौटा

17.	विनोद कुमार शेकोकर, द्वारा चंदा बाई, पाडुरंग कालोनी वार्ड नं.-8 मकान नं. 191 मुदलियार चाल बिड़ी कार्यालय के बाजू में राजनांदगांव जिला राजनांदगांव	श्री नामदेव जी शेकोकर	जनपद पंचायत कौटा
18.	श्याम सुंदर डाहिरे, अम्बेडकर मंगल भवन के पास सब स्टेशन के सामने मारूति नंदन मेडिकोस जरहाभाटा बिलासपुर जिला बिलासपुर	श्री के.आर. डाहिरे	जनपद पंचायत कौटा
19.	रमेश कुमार मरकाम, ग्राम आमाडीही पो. विश्रामपुरी तह. केशकाल जिला बस्तर	श्री रामसाय मरकाम	जनपद पंचायत छिन्दगढ़
20.	राम नारायण खरे, आर.ई.एस. कालोनी क्वा.नं.-38 नारायणपुर जिला नारायणपुर	श्री पंचराम खरे	जनपद पंचायत छिन्दगढ़

(कलेक्टर, महोदया द्वारा आदेशित)

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें निम्नानुसार होगी -

1. संविदा पर 11820 रूपये एक मुश्त प्रतिमाह वेतन की पात्रता होगी । तथा समय-समय पर शासन द्वारा जो भी मानदेय तय होगा वह देय होगा ।
2. वेतन का भुगतान आकस्मिक निधि से किया जायेगा ।
3. संविदा नियुक्ति 28.02.2011 तक के लिये होगी ।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है ।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा ।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे ।
7. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9-1/2004/1/3 दिनांक 28 जुलाई 2004 द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अधीन होगी ।
8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ।
9. गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में शासन के निर्णय अंतिम मान्य होंगे । अगर

शासन द्वारा नियुक्ति नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह बंधनकारी होगा ।

10. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
11. कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत पश्चात उम्मीदवार को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि उम्मीदवार को शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी ।
12. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन उपादान या मृत्यू लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी ।
13. संविदा नियुक्त कर्मचारी अपने मूल दस्तावेजों (सत्यापित प्रति) के साथ दिनांक 14 जुलाई 2010 तक संबंधित जिला/जनपद पंचायत में पदभार ग्रहण करेंगे।
14. अभ्यर्थी को संबंधित जिला/जनपद पंचायत में पदभार ग्रहण करने के एक माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
15. वर्तमान में की गई पदस्थापना में जिले के अंदर आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा ।

(पी. दयानंद)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत दन्तेवाड़ा

दन्तेवाड़ा दिनांक जून 2010

पृ.क्रमांक /जि.पं./एन.आर.ई.जी.ए./2010

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर ।
2. आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना, विकास भवन, सिविल लाईन्स रायपुर ।
3. संभाग आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर ।
4. चयन समिति के सदस्य श्री
5. लेखा अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा ।
6. सहायक परियोजना अधिकारी, रो.गा.यो. जिला पंचायत दन्तेवाड़ा ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सूचनार्थ । संबंधित के उपस्थिति प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ।
8. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत दन्तेवाड़ा



कार्यालय जिला पंचायत, दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा (छ.ग.)

कार्यालय 07856/252522, फ़ैक्स 252575 निवास, 252523, ई:मेल पता :- zp-dantewada.cg@nic.in

आदेश

क्रमांक

/जि.पं./एन.आर.ई.जी.ए./2010

दन्तेवाड़ा दिनांक जून 2010

आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर के पत्र पृ.क.2090/वि-3/एन.आर.ई.जी.ए /167/09 दिनांक 23.05.2009 में निहित प्रावधानों के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित जिला/जनपद पंचायतों में लेखापाल के पद पर निम्नानुसार शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है -

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम जहां पद स्थापना की गई है
1.	2.	3.	4.
1.	हेमा सिंह, रिंग रोड नं.-4 किरन्दुल जिला दन्तेवाड़ा	श्री के.पी. सिंह	जिला पंचायत दन्तेवाड़ा
2.	गजेन्द्र कुमार, अवंतिका कालोनी क्वा.नं. 3/12 जगदलपुर जिला बस्तर	श्री हरिशंकर देवांगन	जिला पंचायत दन्तेवाड़ा
3.	शिवशंकर, जनपद पंचायत बकावण्ड जिला बस्तर	श्री कंवल सिंग	जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा
4.	श्रीमती लुभानी, जवाहर नगर वार्ड क्र.-24 मेटगुड़ापारा जगदलपुर जिला बस्तर	श्री गजेन्द्र सिंह	जनपद पंचायत गीदम
5.	नागेश्वर नाग, क्वा.नं. 2/डीएस/359 गांधीनगर पो.आ. किरन्दुल जिला दन्तेवाड़ा	श्री पी.आर. नाग	जनपद पंचायत कुआकोण्डा
6.	त्रिलोचन बघेल, द्वारा श्री एस.आर. कोरमि क्वा.नं. 761 सुभाष नगर बचेली जिला दन्तेवाड़ा	श्री सुखराम बघेल	जनपद पंचायत सुकमा

7.	श्रीमती संध्या साहू, माँ दन्तेश्वरी धर्मशाला के पास मेनरोड दन्तेवाड़ा जिला दन्तेवाड़ा	श्री संजीव कुमार साहू	जनपद पंचायत सुकमा
8.	संजय भण्डारी, कवा.नं. 2/डीएस-301 गांधी नगर पो.आ. किरन्दुल जिला दन्तेवाड़ा	श्री पी.आर. भण्डारी	जनपद पंचायत कौटा
9.	भगत सिंह साहू, कवा.नं. 1/डी गली नं.-31 सेक्टर-7 भिलाईनगर जिला दुर्ग	श्री राम साहू	जनपद पंचायत छिन्दगढ़
10.	कु. मीरा नाग, ग्राम टाकरागुड़ा पो. आई.टी.आई जिला बस्तर	स्व. श्री जे.आर. नाग	जनपद पंचायत छिन्दगढ़

(कलेक्टर, महोदया द्वारा आदेशित)

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें निम्नानुसार होगी -

1. संविदा पर 8080 रूपये एक मुश्त प्रतिमाह वेतन की पात्रता होगी । तथा समय-समय पर शासन द्वारा जो भी मानदेय तय होगा वह देय होगा ।
2. वेतन का भुगतान आकस्मिक निधि से किया जायेगा ।
3. संविदा नियुक्ति 28.02.2011 तक के लिये होगी ।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है ।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा ।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे ।
7. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9-1/2004/1/3 दिनांक 28 जुलाई 2004 द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अधीन होगी ।
8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ।
9. गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में शासन के निर्णय अंतिम मान्य होंगे । अगर शासन द्वारा नियुक्ति नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह बंधनकारी होगा ।

10. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
11. कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत पश्चात उम्मीदवार को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि उम्मीदवार को शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी ।
12. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन उपादान या मृत्यू लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी ।
13. संविदा नियुक्त कर्मचारी अपने मूल दस्तावेजों (सत्यापित प्रति) के साथ दिनांक 14 जूलाई 2010 तक संबंधित जिला/जनपद पंचायत में पदभार ग्रहण करेंगे।
14. अभ्यर्थी को संबंधित जिला/जनपद पंचायत में पदभार ग्रहण करने के एक माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
15. वर्तमान में की गई पदस्थापना में जिले के अंदर आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा ।

(पी. दयानंद)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दन्तेवाड़ा


दन्तेवाड़ा दिनांक जून 2010

पृ.क्रमांक /जि.पं./एन.आर.ई.जी.ए./2010

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर ।
2. आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना, विकास भवन, सिविल लाईन्स रायपुर ।
3. संभाग आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर ।
4. चयन समिति के सदस्य श्री
5. लेखा अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा ।
6. सहायक परियोजना अधिकारी, रो.गा.यो. जिला पंचायत दन्तेवाड़ा ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सूचनार्थ । संबंधित के उपस्थिति प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ।
8. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दन्तेवाड़ा



कार्यालय जिला पंचायत, दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा (छ.ग.)

कार्यालय 07856/252522, फ़ैक्स 252575 निवास, 252523, ई-मेल पता :- zp-dantewada.cg@nic.in

आदेश

क्रमांक /जि.पं./एन.आर.ई.जी.ए./2010 दन्तेवाडा दिनांक जून 2010
आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर के पत्र पृ.क.2090/वि-3/एन.आर.ई.जी.ए /167/09 दिनांक 23.05.2009 में निहित प्रावधानों के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित जिला/जनपद पंचायतों में डाटा इन्ट्री आपरेटर के पद पर निम्नानुसार शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है -

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम जहां पद स्थापना की गई है
1.	2.	3.	4.
1.	जगदीश देहारी, ग्रा.पो. चपका तह. जिला बस्तर	श्री नोहर सिंह देहारी	जिला पंचायत दन्तेवाडा
2.	कु. प्रमीला पेगड, शा.आ.गृह अविन्तका कालोनी एफ/10 जगदलपुर जिला बस्तर	श्री सुकमन राम पेगड	जनपद पंचायत दन्तेवाडा
3.	कु. देवलावती कश्यप, आई.टी.आई. बस्तर जिला बस्तर	श्री दयाराम कश्यप	जनपद पंचायत गीदम
4.	विनय कुमार, सरगीपालपारा कोण्डागांव जिला बस्तर	श्री डोमू राम देवांगन	जनपद पंचायत कौटा
5.	दिनेश कश्यप, ग्राम मुंजला, कड़ागुड़ा पो. चपका तह. जिला बस्तर	श्री लालमन कश्यप	जनपद पंचायत छिन्दगढ़
6.	भारत लाल केमरो, ग्रा.पो. कौरगांव वि.ख. बड़ेराजपुर जिला बस्तर	श्री गोनी राम केमरो	जनपद पंचायत छिन्दगढ़

(कलेक्टर, महोदया द्वारा आदेशित)

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें निम्नानुसार होगी -

1. संविदा पर 7400 रूपये एक मुश्त प्रतिमाह वेतन की पात्रता होगी । तथा समय-समय पर शासन द्वारा जो भी मानदेय तय होगा वह देय होगा ।

2. वेतन का भुगतान आकस्मिक निधि से किया जायेगा ।
3. संविदा नियुक्ति 28.02.2011 तक के लिये होगी ।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है ।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा ।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे ।
7. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9-1/2004/1/3 दिनांक 28 जूलाई 2004 द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अधीन होगी ।
8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ।
9. गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में शासन के निर्णय अंतिम मान्य होंगे । अगर शासन द्वारा नियुक्ति नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह बंधनकारी होगा ।
10. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
11. कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत पश्चात उम्मीदवार को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि उम्मीदवार को शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी ।
12. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन उपादान या मृत्यू लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी ।
13. संविदा नियुक्त कर्मचारी अपने मूल दस्तावेजों (सत्यापित प्रति) के साथ दिनांक 14 जूलाई 2010 तक संबंधित जिला/जनपद पंचायत में पदभार ग्रहण करेंगे।
14. अभ्यर्थी को संबंधित जिला/जनपद पंचायत में पदभार ग्रहण करने के एक माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
15. वर्तमान में की गई पदस्थापना में जिले के अंदर आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा ।

(पी. दयानंद)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दन्तेवाड़ा

पृ.क्रमांक
प्रतिलिपि :-

/जि.पं./एन.आर.ई.जी.ए./2010

दन्तेवाड़ा दिनांक जून 2010

1. सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर ।
2. आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना, विकास भवन, सिविल लाईन्स रायपुर ।
3. संभाग आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर ।
4. चयन समिति के सदस्य श्री
5. लेखा अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा ।
6. सहायक परियोजना अधिकारी, रो.गा.यो. जिला पंचायत दन्तेवाड़ा ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सूचनार्थ । संबंधित के उपस्थिति प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ।
8. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दन्तेवाड़ा



कार्यालय जिला पंचायत, दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा (छ.ग.)

कार्यालय 07856/252522, फैक्स 252575 निवास, 252523, ई:मेल पता :- zp-dantewada.cg@nic.in

आदेश

क्रमांक /जि.पं./एन.आर.ई.जी.ए./2010 दन्तेवाडा दिनांक जून 2010
आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर के पत्र पृ.क.2090/वि-3/एन.आर.ई.जी.ए /167/09 दिनांक 23.05.2009 में निहित प्रावधानों के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित जिला/जनपद पंचायतों में भृत्य के पद पर निम्नानुसार शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है -

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम	जिला/जनपद पंचायत का नाम जहां पद स्थापना की गई है
1.	2.	3.	4.
1.	लोकेश कुमार, द्वारा श्री भागीरथी मरकाम बी.आर.पी. पालीटेक्निक रूद्री धमतरी जिला धमतरी	स्व. श्री सहदेव	जिला पंचायत दन्तेवाडा
2.	कु. हेमवती नेताम, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बस्तर कन्या छात्रावास आई.टी.आई. बस्तर जिला बस्तर	श्री सुखचंद नेताम	जिला पंचायत दन्तेवाडा
3.	टुनूराम कश्यप, ग्राम खोटलापाल पो. मंगनार वि.ख. बकावण्ड जिला बस्तर	श्री जदुनाथ कश्यप	जनपद पंचायत दन्तेवाडा
4.	गीताराम ठाकुर, न्यू उत्तम टेलर्स मेन मार्केट किरन्दुल जिला दन्तेवाडा	श्री जगेश्वर राम ठाकुर	जनपद पंचायत गीदम
5.	गंगाराम आयोमी, ग्राम नेटापुर पो. मटेनार तह. जिला दन्तेवाडा	श्री जोगाराम आयोमी	जनपद पंचायत कुआकोण्डा

6.	सुकलाल मौर्य, जनपद पंचायत भैरमगढ़ तह. भैरमगढ़ जिला बीजापुर	श्री समन्दू मौर्य	जनपद पंचायत कटेकल्याण
7.	महेन्द्र कुमार नेताम, द्वारा श्री भागीरथी मरकाम बी.आर.पी. पालीटेक्निक रूद्री धमतरी जिला धमतरी	श्री राजेन्द्र	जनपद पंचायत सुकमा
8.	संजय कुमार, कैलाश नगर दन्तेवाड़ा जिला दन्तेवाड़ा	श्री प्रितम कुंजाम	जनपद पंचायत सुकमा
9.	शिवकुमार दीवान, ग्राम छनवन पो. रीकोकला व्हाया सांकरा, जोंक, जिला रायपुर	श्री मोतीराम दीवान	जनपद पंचायत छिन्दगढ़
10.	जी. जयलाल, जनपद पंचायत बीजापुर जिला बीजापुर	श्री जी. पेंटाराम	जनपद पंचायत कौंटा

(कलेक्टर, महोदया द्वारा आदेशित)

नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें निम्नानुसार होगी -

1. संविदा पर 5530 रूपये एक मुश्त प्रतिमाह वेतन की पात्रता होगी । तथा समय-समय पर शासन द्वारा जो भी मानदेय तय होगा वह देय होगा ।
2. वेतन का भुगतान आकस्मिक निधि से किया जायेगा ।
3. संविदा नियुक्ति 28.02.2011 तक के लिये होगी ।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है ।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा ।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे ।
7. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9-1/2004/1/3 दिनांक 28 जुलाई 2004 द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अधीन होगी ।
8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ।
9. गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में शासन के निर्णय अंतिम मान्य होंगे । अगर शासन द्वारा नियुक्ति नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह बंधनकारी होगा ।

10. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
11. कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत पश्चात उम्मीदवार को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि उम्मीदवार को शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी ।
12. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन उपादान या मृत्यू लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी ।
13. संविदा नियुक्त कर्मचारी अपने मूल दस्तावेजों (सत्यापित प्रति) के साथ दिनांक 14 जूलाई 2010 तक संबंधित जिला/जनपद पंचायत में पदभार ग्रहण करेंगे।
14. अभ्यर्थी को संबंधित जिला/जनपद पंचायत में पदभार ग्रहण करने के एक माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
15. वर्तमान में की गई पदस्थापना में जिले के अंदर आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा ।

(पी. दयानंद)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दन्तेवाड़ा

दन्तेवाड़ा दिनांक जून 2010

पृ.क्रमांक /जि.पं./एन.आर.ई.जी.ए./2010

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर ।
2. आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना, विकास भवन, सिविल लाईन्स रायपुर ।
3. संभाग आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर ।
4. चयन समिति के सदस्य श्री
5. लेखा अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा ।
6. सहायक परियोजना अधिकारी, रो.गा.यो. जिला पंचायत दन्तेवाड़ा ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सूचनार्थ । संबंधित के उपस्थिति प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ।
8. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दन्तेवाड़ा